

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated 18th September 2009
27 Bhadrapada, 1931 (Saka)

NOTIFICATION

No. 464/MT-LA/2009.— Whereas, the Governor of the State of Maharashtra has, by notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the *Official Gazette* of the State on the 18th September 2009, been pleased to call upon all Assembly constituencies in the State, to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder ;

Now, therefore, in pursuance of section 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby—

(A) appoints, with respect to the said election in each of the constituencies,—

(a) the 25th September 2009 (Friday), as the last date for making nominations ;

(b) the 26th September 2009 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 29th September 2009 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 13th October 2009 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 25th October 2009 (Sunday), as the date before which the election shall be completed ; and

(B) fixes the hours from 7-00 a.m. to 5-00 p.m. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG,
Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, तारीख 18 सितम्बर 2009
27 भाद्रपद, 1931 (शक)

अधिसूचना

सं. 464/महाराष्ट्र-वि. स. /2009.—यतः, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जारी और 18 सितम्बर 2009 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक से यह अपेक्षा की है कि उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा.—

(अ) उक्त निर्वाचन में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में :—

- | | |
|--|-------------------------------|
| (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख | .. 25 सितम्बर 2009 (शुक्रवार) |
| (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | .. 26 सितम्बर 2009 (शनिवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | .. 29 सितम्बर 2009 (मंगलवार) |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा। | .. 13 अक्टूबर 2009 (मंगलवार) |
| (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा। | .. 25 अक्टूबर 2009 (रविवार) |
- (ब) 7-00 बजे पूर्वाह्न से 5-00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क, सप्टेंबर १८, २००९/भाद्र २७, शके १९३१

करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो उपरोक्त उल्लिखित तारीख को उक्त निर्वाचन के लिए मतदान होगा।

आदेश से,
स्टेण्डहोप युहलुंग,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEBASHISH CHAKRABARTY,
Secretary to Government and
Chief Electoral Officer, Maharashtra State.